"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 533] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 जुलाई 2025 — आषाढ़ 19, शक 1947

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जुलाई 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–10/2008/38–2. – छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्र. 619/पी.यू./एस.एण्ड.ओ./2008/22044, दिनांक 25–04–2025 द्वारा मैट्स विश्वविद्यालय, गुल्लू, आरंग, जिला–रायपुर के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 145 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के तहत् किया गया है।

2/ राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेश को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, उप–सचिव.

अध्यादेश क्रमांक - 145

स्नातक/स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों के संचालन हेतु

UGC-DEB दिशा-निर्देशों के अनुसार UGC-DEB के तहत निषिद्ध सूची में शामिल सभी कार्यक्रमों को छोड़कर

मैट्स सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (MCDOE) द्वारा नियंत्रित

मैट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर (छ.ग.)

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

1.1. यह अध्यादेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)-दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी), नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा के लिए मैट्स MATS Centre for Distance and Online Education (MCDOE), मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा के सभी प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश कहा जाएगा।

1.2. यह अध्यादेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगा।

1.3. अध्यादेश का प्रावधान यूजीसी-डीईबी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों या नई शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार मैट्स विश्वविद्यालय की विधि संख्या-14 के अनुसार अनुमोदित तीन वर्षीय (छह सेमेस्टर) स्नातक डिग्री, दो वर्षीय मास्टर्स (चार सेमेस्टर) डिग्री कार्यक्रमों पर लागू होगा। दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा के तहत शामिल किए जाने वाले कार्यक्रम केवल वे होंगे जो यूजीसी-डीईबी की निषिद्ध सूची में नहीं हैं और जिनके लिए विश्वविद्यालय को यूजीसी-डीईबी से कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति मिलती है। दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा के तहत शामिल किए जाने वाले कार्यक्रम तालिका क्रमांक - 1 के अनुसार होंगे-

तालिका संख्या 1: दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले कार्यक्रम।

क्र.सं.	संकाय	कार्यक्रम
	प्रबंधन संकाय	• स्नातकोत्तर डिप्लोमा • व्यवसाय प्रशासन स्नातक (बीबीए) • व्यवसाय प्रशासन स्नातकोत्तर (एमबीए)
	सूचना प्रौद्योगिकी संकाय	• स्नातकोत्तर डिप्लोमा • विज्ञान स्नातक (बी .एससी.) • विज्ञान स्नातक (ऑनर्स) • कंप्यूटर अनुप्रयोग स्नातक (बीसीए) • विज्ञान स्नातकोत्तर (एम .एससी.) • • कंप्यूटर अनुप्रयोग स्नातकोत्तर (एमसीए)
	वाणिज्य संकाय	• पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा • बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी .कॉम.) • बैचलर ऑफ कॉमर्स (ऑनर्स) • • मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम .कॉम.)
	विज्ञान संकाय	• बैचलर ऑफ साइंस (बी .एससी.) • बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स) • बैचलर ऑफ डिजाइन • मास्टर ऑफ साइंस (एम .एससी.) • मास्टर ऑफ डिजाइन
	जीवन विज्ञान संकाय	• विज्ञान स्नातक (बी .एससी.) • विज्ञान स्नातक (ऑनर्स) • • विज्ञान स्नातकोत्तर (एम .एससी.)
	कला और मानविकी संकाय	• स्नातकोत्तर डिप्लोमा • कला स्नातक (बी .ए.) • कला स्नातक (ऑनर्स) • विज्ञान स्नातक (बी .एससी.) • विज्ञान स्नातक (ऑनर्स) • सामाजिक कार्य में स्नातक (बीएसडब्ल्यू) • पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक (बी. लिब.) • कला में स्नातकोत्तर (एम .ए.) • सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर (एमएसडब्लू) • • पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम. लिब.)

2. परिभाषा एवं मूल शब्द :

इन विनियमों को निम्नलिखित बिन्दुओं में परिभाषित किया गया है :

- **शैक्षणिक सत्र:** इसका अर्थ है प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में जनवरी से फरवरी या जुलाई से अगस्त के महीने में शुरू होने वाले बारह महीनों की अवधि।
  इसका आशय है कि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में बारह महीने की अवधि या तो जनवरी से फरवरी अथवा जुलाई से अगस्त माह में प्रारंभ होने वाला सत्र, जैसा भी निर्दिष्ट हो।

- **सेंटर फॉर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस (CIQA):** यह विश्वविद्यालय द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऑनलाइन पद्धति में पेश किए जा रहे कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक केंद्र है, जैसा कि यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुलग्नक-**I** में निर्दिष्ट है।

- **पारंपरिक प्रणाली :** यह नियमित कक्षा के वातावरण में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच आमने-सामने के संवाद के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करने की एक प्रणाली है, लेकिन ऑनलाइन के उपयोग के माध्यम से शिक्षार्थी के लिए यदि कोई पूरक निर्देश हैं तो, इसमें शामिल नहीं किया गया है।

- **क्रेडिट :** का अर्थ है उस इकाई के संबंध में सीखने के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम घंटों के अध्ययन प्रयासों के साथ एक शिक्षार्थी द्वारा पुरस्कार के रूप में अर्जित स्कोर। इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक शिक्षार्थी द्वारा उस इकाई के संबंध में सीखने के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कक्षा शिक्षण के 15 घंटे या स्व-सीखने के समय सहित 30 घंटे के बराबर सामग्री को समझने के लिए एक क्रेडिट के लिए एक अध्ययन प्रयास की आवश्यकता होगी।

- **डिग्री :** अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के तहत निर्दिष्ट डिग्री।

- **दोहरी पद्धति विश्वविद्यालय :** इसका आशय वह उच्च शैक्षणिक संस्थान जो पारंपरिक पद्धति के साथ-साथ ओपन और डिस्टेंस लर्निंग पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के तहत भी कार्यक्रमों की पेशकश करता है।

- **ई-लर्निंग सामग्री:** ऑनलाइन कार्यक्रम में एक या अधिक पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में संरचित पाठ्यक्रम सामग्री के रूप में सामग्री शामिल है, डिजिटल प्रारूप में शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ स्व-व्याख्यात्मक, स्व-निहित, शिक्षार्थी पर आत्म-निर्देशित है, और आत्म-मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है और शिक्षार्थी को अध्ययन के दौरान सीखने के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, लेकिन इसमें पाठ्य-पुस्तकें या मार्गदर्शिकाएं शामिल नहीं हैं; जैसा कि विनियमों में परिभाषित है।

- **परीक्षा केंद्र:** इसका आशय एक ऐसे स्थान से है जहां मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति तथा ऑनलाइन पद्धति के तहत शिक्षार्थी के कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और जहां परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त जनशक्ति और इन नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का पालन करने सहित शिक्षा के संबंधित पद्धति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है।

- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी:** इसका अर्थ है संवाद करने, बनाने, प्रसारित करने, संग्रहीत करने, जानकारी प्रबंधित करने और इंटरैक्टिव शिक्षण-सीखने के लक्ष्यों को साकार करने, पहुंच बढ़ाने, ज्ञान सह सूचना साझाकरण सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण और शैक्षिक प्रणाली और संसाधनों के प्रबंधन के लिए तैनात किए जाने वाले उपकरणों और संसाधनों के विविध सेट।

- **एकीकृत कार्यक्रम:** एकीकृत कार्यक्रम का वही अर्थ होगा जैसा कि डिग्री के विनिर्देश पर यूजीसी अधिसूचना-2014 में परिभाषित किया गया है।

- **लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस):** इसका अर्थ है एक केंद्रीकृत स्थान पर ई-लर्निंग कार्यक्रमों के वितरण, शिक्षार्थी के जुड़ाव, मूल्यांकन, परिणाम, रिपोर्टिंग और अन्य संबंधित विवरणों पर नज़र रखने के लिए एक प्रणाली।

- **शिक्षार्थी सहायता केंद्र:** विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त एक केंद्र जो शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच सलाह, परामर्श, इंटरफेस प्रदान करने, किसी भी शैक्षणिक और किसी अन्य संबंधित सेवा और सहायता प्रदान करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग पद्धति के शिक्षार्थियों द्वारा आवश्यक है।

- **शिक्षार्थी सहायता सेवाएँ:** इसमें ऐसी सेवाएँ शामिल हैं जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के तहत अध्ययन के एक कार्यक्रम के संबंध में आयोग द्वारा या उसकी ओर से निर्धारित स्तर तक शिक्षार्थी द्वारा शिक्षण-अधिगम अनुभवों के अधिग्रहण की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती हैं।

- **मूक्स (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स):** इसका वही अर्थ होगा जो यूजीसी (स्वयम के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2016 के विनियमन 3 के उप-विनियम 3.6 के तहत प्रतिबद्ध किया गया है।

- **ऑनलाइन पद्धति:** इंटरनेट, ई-लर्निंग सामग्री और प्रौद्योगिकी समर्थित तंत्र और संसाधनों का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी के अलगाव को दूर करके लचीले सीखने के अवसर प्रदान करने की एक प्रणाली।

- **मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति:** शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच के अंतर को दूर करके, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और शिक्षार्थियों या शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के साथ कभी-कभार होने वाली संवादात्मक आमने-सामने की बैठकों सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके लचीले शिक्षण अवसर प्रदान करने की पद्धति, जिसमें व्यावहारिक या कार्य अनुभव सहित शिक्षण अनुभव प्रदान करना शामिल है।

- **पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा:** इसका अर्थ है न्यूनतम दो साल की अवधि वाला एक पाठ्यक्रम, स्नातक के रूप में न्यूनतम प्रवेश स्तर की योग्यता, न्यूनतम 80 क्रेडिट तथा आयोग और नियामक प्राधिकरण या वैधानिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नामकरण, जैसा विनियमित हो।

- **प्रॉक्टर्ड परीक्षा:** अनुमोदित व्यक्ति या प्रौद्योगिकी सक्षम प्रॉक्टरिंग की देखरेख में आयोजित परीक्षा जो परीक्षार्थी की पहचान और परीक्षा देने वाले वातावरण की अखंडता को सुनिश्चित करती है, या पेन-पेपर पद्धति में या कंप्यूटर-आधारित परीक्षण पद्धति में या पूर्ण ऑनलाइन पद्धति में; इन विनियमों के तहत ओपन और डिस्टेंस लर्निंग पद्धति और ऑनलाइन पद्धति में अनुमेय है।

- **निषिद्ध कार्यक्रम:** ऐसे कार्यक्रम जिन्हें उच्च शिक्षा में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग पद्धति और ऑनलाइन पद्धति में पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है:
  - **अ)** इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अन्य पैरा-मेडिकल विषयों, फार्मेसी, नर्सिंग, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, पाक विज्ञान, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, विजुअल आर्ट्स और स्पोर्ट्स के विषयों (उनके संबद्ध डोमेन सहित) में कार्यक्रम;
  - **ब)** अनुसंधान आधारित कार्यक्रम जैसे एम.फिल और पीएचडी;
  - **ग)** ऐसे अन्य कार्यक्रमों को किसी भी संबंधित वैधानिक या नियामक निकाय या परिषद द्वारा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पेश करने की अनुमति नहीं है: बशर्ते कि, यदि संबंधित वैधानिक या नियामक निकाय या परिषद अपने अधिकार क्षेत्र के तहत, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी भी निषिद्ध कार्यक्रम की अनुमति देता है, तो उस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाता है,तो विश्वविद्यालय अध्यादेश में इन कार्यक्रमों को शामिल करने के बाद उन कार्यक्रमों को शुरू कर सकता है।

- **क्षेत्रीय केंद्र:** इसका अर्थ है विश्वविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र में शिक्षार्थी सहायता केंद्रों के कार्य के समन्वय और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से स्थापित या बनाए रखा गया केंद्र और ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए जो विश्वविद्यालय के सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा ऐसे केंद्र को प्रदान किए जा सकते हैं।

- **स्व-शिक्षण ई-मॉड्यूल:** ऑनलाइन पद्धति के लिए ई-लर्निंग रूप में पाठ्यक्रम सामग्री की एक मॉड्यूलर इकाई जो अन्य बातों के साथ-साथ स्व-व्याख्यात्मक, स्व-निहित, शिक्षार्थी पर स्व-निर्देशित और आत्म-मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है, और शिक्षार्थी को अध्ययन के पाठ्यक्रम में सीखने के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और निम्नलिखित ई-लर्निंग सामग्री के संयोजन के रूप में शामिल करता है:
  (क) ई-पाठ्य सामग्री;
  (ख) वीडियो व्याख्यान;
  (ग) श्रव्य-दृश्य संवादात्मक सामग्री;
  (घ) वर्चुअल क्लास रूम सत्र;
  (च) ऑडियो पॉड कास्ट;
  (छ) वर्चुअल सिमुलेशन; और
  (ज) स्व-मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी या परीक्षण;

- **स्व-शिक्षण सामग्री:** मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के लिए पाठ्यक्रम सामग्री के रूप में सामग्री शामिल है, चाहे मुद्रित हो या ई-रूप में, जो अन्य बातों के साथ-साथ स्व-व्याख्यात्मक, स्व-निहित, शिक्षार्थी पर स्व-निर्देशित है, और आत्म-मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है, और शिक्षार्थी को अध्ययन के पाठ्यक्रम में सीखने के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, लेकिन इसमें पाठ्य-पुस्तकें या मार्गदर्शिकाएं शामिल नहीं हैं।

- **स्वायम:** इसका अर्थ है यूजीसी (स्वायम के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट शिक्षण प्रबंधन प्रणाली।

3. प्रवेश के लिए पात्रता:

3.1 इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम और दिशा-निर्देश वही होंगे जो विश्वविद्यालय के अध्यादेश 144 के बिंदु संख्या 3 में उल्लेखित हैं।

3.2 किसी विशेष अध्ययन कार्यक्रम में शिक्षार्थी की न्यूनतम आयु सहित पात्रता की शर्तें पारंपरिक प्रणाली के समान ही होंगी, जब तक कि कुछ कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं बनाए जाते हैं।

3.3 **सीटों की संख्या:**
किसी कार्यक्रम में छात्र नामांकन विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित सीटों तक ही सीमित रहेगा। अकादमिक परिषद और प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी के बाद सीटों में अतिरिक्त बढ़ोतरी की जा सकेगी।

3.4. प्रवेश क्षमता इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय द्वारा पहले से निर्धारित की जाएगी और शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगी।

3.5 बशर्ते किसी विज्ञान विषय के अंतर्गत एक कार्यक्रम के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत प्रवेश क्षमता पारंपरिक प्रणाली में स्वीकृत प्रवेश क्षमता यूजीसी-डीईबी विनियम के अनुसार होगी।

ऑनलाइन प्रमाली में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश

3.6. विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके द्वारा धारित प्रवेश योग्यता की समतुल्यता के आधार पर प्रवेश दे सकता है। समतुल्यता का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या यूजीसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य निकाय या देश के संबंधित नियामक निकायों द्वारा किया जाना है। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने के लिए पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का पालन करेगा।

3.7. सभी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थी केवल पासपोर्ट के माध्यम से अपने प्रमाण-पत्र प्रमाणित करेंगे। ये शिक्षार्थी अपने निवास के देश से ऑनलाइन कार्यक्रम करेंगे।

3.8. विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के तुरंत बाद नामांकित सभी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थियों का विवरण विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रदान करेगा।

4. कार्यक्रम का पाठ्यक्रम घटक

पाठ्यक्रम घटक नियमित कार्यक्रम के समरूप होगा। प्रत्येक विभाग का अध्ययन बोर्ड दूरस्थ पाठ्यक्रम में जरूरत होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन करेगा।

5. स्नातक कार्यक्रमों का नामकरण:

यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम 2020 के अनुसार और कार्यक्रमों के पारंपरिक पद्धति पर आधारित।

6. स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का नामकरण:

यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम 2020 के अनुसार और कार्यक्रमों के पारंपरिक पद्धति पर आधारित।

7. उपस्थिति :

शिक्षार्थी किसी विषय में अंतिम सेमेस्टर/टर्म-समाप्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि:

(i) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के लिए शिक्षार्थी ने कार्यक्रम विशिष्ट व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (परामर्श को छोड़कर) और प्रत्येक कार्यक्रम के प्रयोगशाला घटक में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की हो; और शिक्षार्थी सहायता केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र/उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा विस्तृत उपस्थिति रिकॉर्ड बनाए रखा गया हो;

(ii) ऑनलाइन प्रणाली के लिए: शिक्षार्थी ने अंतिम सेमेस्टर परीक्षा या सत्र समाप्ति परीक्षा से पहले ऑनलाइन कार्यक्रम की सभी गतिविधियों में न्यूनतम 75 प्रतिशत भागीदारी की हो।विशेष कारणों जैसे लंबी बीमारी के कारण प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपस्थिति के प्रतिशत में कमी को माननीय कुलपति द्वारा माफ किया जा सकता है।

8. परीक्षा और मूल्यांकनः

8.1 परीक्षाओं के विभिन्न घटकों में शिक्षार्थियों के मूल्यांकन की सभी प्रक्रियाओं को सीधे संबंधित संस्थान द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और मूल्यांकन का कोई भी हिस्सा आउटसोर्स नहीं किया जाएगा।

8.2 पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिएः मुक्त और दूरस्थ शिक्षा और/या ऑनलाइन पद्धति उच्च शैक्षणिक संस्थानों के पूर्णकालिक संकाय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थानों के योग्य शिक्षकों को केवल निरीक्षकों, परीक्षा अधीक्षकों, पर्यवेक्षकों आदि के रूप में कार्य करने के लिए संबद्ध किया जाना चाहिए।

8.3 **मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए:** मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति कार्यक्रमों के लिए सभी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जहां अध्ययन केंद्र या शिक्षार्थी सहायता केंद्र मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति संस्थान के प्रत्यक्ष नियंत्रण और दायित्व के अंतर्गत स्थित हैं। इसके अलावा, सभी सरकारी संस्थान जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राज्य सरकार स्कूल और राज्य सरकार विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय आदि को भी प्रत्यक्ष समग्र पर्यवेक्षण के तहत परीक्षा केंद्र के रूप में चयिनत किया जा सकता है। अन्य निजी विश्वविद्यालय और किसी भी निजी संगठन या गैर-अनुमोदित उच्च शैक्षणिक संस्थानों को कोई परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किया जाएगा।

8.4 यदि ऊपर (8.3) में उल्लिखित संस्थानों के प्रकार किसी शहर/कस्बे में आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए स्थान पर्याप्त नहीं हैं, तो विश्वविद्यालय अपने वैधानिक निकायों के पूर्व अनुमोदन के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, सरकारी संगठनों/विभागों, मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षा केंद्रों की स्थापना कर सकता है।

8.5.मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति तथा/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालय को प्रश्न पत्रों, प्रश्न बैंकों, असाइनमेंट के विकास तथा उनके संशोधन, परीक्षा के संचालन, योग्य शिक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन तथा परिणाम की घोषणा में गहन प्रक्रिया अपनानी होगी, तथा प्रश्नपत्रों को

इस प्रकार तैयार करना होगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि पाठ्यक्रम का कोई भी भाग शिक्षार्थी द्वारा अध्ययन से छूट न जाए।

8.6 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति तथा/या ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रमों की परीक्षा, उच्चतर शिक्षा संस्थान की परीक्षा या मूल्यांकन इकाई द्वारा प्रबंधित की जाएगी तथा इन विनियमों के अंतर्गत दिए गए परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी।

8.7 ऑनलाइन लर्निंग पद्धति के लिए प्रावधान :

8.7.1. विश्वविद्यालय या तो प्रौद्योगिकी सक्षम ऑनलाइन टेस्ट का उपयोग करके सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा, या प्रोक्टर्ड परीक्षा के माध्यम से और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य मानदंडों के अनुरूप परीक्षा आयोजित करेगा। बशर्ते कि, विश्वविद्यालय अपने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थियों के लिए प्रोक्टर्ड परीक्षा आयोजित करेगा।

8.7.2. परीक्षार्थियों की उपस्थिति भारतीय शिक्षार्थियों के लिए आधार विवरण या अन्य सरकारी पहचानकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षार्थियों के लिए पासपोर्ट के अनुसार बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से प्रमाणित की जाएगी।

8.8. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से नामांकित शिक्षार्थियों और उनके प्रमाणन के लिए विश्वविद्यालय मूल्यांकन तंत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे:

8.8.1. दो प्रकार के मूल्यांकन और उनके वेटेज निम्नानुसार होंगे

I. सतत या प्रारंभिक मूल्यांकन (सेमेस्टर में): अधिकतम 30 प्रतिशत

II. योगात्मक मूल्यांकन (अंतिम सेमेस्टर परीक्षा या टर्म-एंड परीक्षा के रूप में): अधिकतम 70 प्रतिशत।

9. लेटर ग्रेड और ग्रेड प्वाइंटः

9.1. सभी लेटर ग्रेड और ग्रेड प्वाइंट उसी मानक के होंगे जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा पारंपरिक पद्धति में अपनाया जा रहा है या जैसा कि अध्यादेश 144 के बिंदु (29) में उल्लेख किया गया है। सतत मूल्यांकन और अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं या टर्म एंड परीक्षाओं में प्राप्त अंक या ग्रेड, ग्रेड कार्ड में अलग से दिखाए जाएंगे।

10. प्रमोशन नियम :

10.1. यह नियम विश्वविद्यालय के अध्यादेश 144 के बिंदु (30) में पारंपरिक प्रमोशन नियम के अनुसार ही होंगे।

11. प्रमाणन

11.1. स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पद्धति दोनों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा के प्रत्येक अवार्ड को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी और इसमें फोटो और आधार नंबर या अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त पहचानकर्ता या पासपोर्ट नंबर, जैसा भी लागू हो, कार्यक्रम के नाम के साथ शिक्षार्थी के अन्य प्रासंगिक विवरण के साथ होना चाहिए। प्रत्येक अवार्ड को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी पर भी अपलोड किया जाएगा।

11.2 विश्वविद्यालय की मार्कशीट में छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई प्रत्येक डिग्री/प्रमाण पत्र और मार्कशीट (प्रत्येक सेमेस्टर प्रमाण पत्र के लिए और कार्यक्रम के अंत में) के पीछे अनिवार्य रूप से निम्नलिखित बिन्दु शामिल होंगे।

i. शिक्षण प्रणाली जैसे ऑनलाइन/मुक्त एवं दूरवर्ती/पारंपरिक;

ii. प्रवेश की तिथि;

iii. कार्यक्रम पूर्ण होने की तारीख;

iv. शिक्षार्थी सहायता केंद्र का नाम और पता (केवल मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए)

v. परीक्षा केंद्र का नाम और पता

12. आंतरिक गुणवत्ता निरीक्षण केंद्र (CIQA):

12.1. गतिशील आंतरिक गुणवत्ता निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार्य गुणवत्ता के साथ मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऑनलाइन पद्धति में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक गुणवत्ता निरीक्षण के लिए एक केंद्र कार्य करेगा।

12.2. इस सेल का गठन, कार्य, निगरानी तंत्र यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुलग्नक-I में दिए गए प्रावधान के अनुसार होगा।

13 सामान्यः

13.1. यदि अध्यादेश में शामिल न किए गए मामलों से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो विश्वविद्यालय या यूजीसी के अध्यादेश/संविधि में किए गए प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

13.2. एबीसी और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट से संबंधित कोई भी बिंदु जो इस अध्यादेश में शामिल नहीं है, उस पर विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार समय-समय पर जारी यूजीसी के दिशा-निर्देशों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

14. अध्यादेश की व्याख्या पर किसी भी विवाद में, अंग्रेजी संस्करण को ही बाध्यकारी की स्थिति माना जाएगा।

15. इस अध्यादेश में उल्लिखित मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित मौजूदा अध्यादेश सत्र 2025-26 से इस अध्यादेश के कार्यान्वयन के साथ निरस्त हो जाएंगे। मौजूदा अध्यादेश उन शिक्षार्थियों पर लागू होगा जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले नामांकन किया है।

16. शिकायत निवारण तंत्रः

16.1. विश्वविद्यालय के पास यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020,में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र होगा।

17. अध्यादेश में शामिल नहीं किए गए किसी भी अन्य बिंदु पर, यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 में दिए गए मानदंड लागू होंगे।

तालिकाएं

तालिका संख्या 2: क्रेडिट प्रणाली के आधार पर मुक्त एवं दूरवर्ती ज्ञान अर्जन पद्धति और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से डिग्री कार्यक्रमों को पेशकश करने के लिए मानदंड।

क्र.सं.	कार्यक्रम का स्तर	कार्यक्रम की अवधि	क्रेडिट
1.	स्नातक डिग्री, स्नातक डिग्री (ऑनर्स)	डिग्री विनिर्देश पर यूजीसी अधिसूचना-2014 के अनुसार	यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार
2.	मास्टर डिग्री	डिग्री विनिर्देशन पर यूजीसी अधिसूचना-2014 के अनुसार	यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार
3.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा	दो वर्षीय	80

तालिका संख्या 3 : मुक्त और दूरस्थ पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रतिपादन करने के लिए मानदंड।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का क्रेडिट मूल्य	एसएलएम रेंज का आकार (इकाइयों के संदर्भ में, ब्लॉकों में विभाजित)	असाइनमेंट (कार्य) की संख्या	व्यावहारिक सत्र	परामर्श सत्रों की संख्या सिद्धांत (कुल अध्ययन घंटों का **10** प्रतिशत)	शिक्षार्थी के अध्ययन घंटे
1.	2 क्रेडिट	6-10 इकाइयां	1	60 घंटे	6 घंटे	60 घंटे
2.	4 क्रेडिट	14-20 इकाइयां	2	120 घंटे	12 घंटे	120 घंटे
3.	6 क्रेडिट	20-28 इकाइयां	3	180 घंटे	18 घंटे	180 घंटे
4.	8 क्रेडिट	30-34 इकाइयां	4	240 घंटे	24 घंटे	240 घंटे

तालिका संख्या. 4 : ऑनलाइन पद्धति में पाठ्यक्रमों के वितरण के लिए मानदंड।

क्र.स.	पाठ्यक्रम का क्रेडिट मूल्य	सप्ताहों की संख्या	इंटरैक्टिव सत्रों की संख्या		अध्ययन सामग्री के घंटे		मूल्यांकन आदि सहित स्व-अध्ययन घंटे।	अध्ययन के कुल घंटे (प्रति क्रेडिट **30** घंटे के आधार पर)
			समकालिक ऑनलाइन परामर्श/वेबिनार / इंटरैक्टिव लाइव व्याख्यान (प्रति सप्ताह **1** घंटा)	विमर्श मंच/अतुल्यकालिक परामर्श (प्रति सप्ताह **2** घंटे)	ई-ट्यूटोरियल घंटे	ई-कन्टेंट घंटे		
1.	2 क्रेडिट	6 सप्ताह	6 घंटे	12 घंटे	10	10	22	60
2.	4 क्रेडिट	12 सप्ताह	12 घंटे	24 घंटे	20	20	44	120
3.	6 क्रेडिट	14 सप्ताह	14 घंटे	28 घंटे	30	30	66	180
4.	8 क्रेडिट	16 सप्ताह	16 घंटे	32 घंटे	40	40	88	240

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जुलाई 2025

क्रमांक एफ 3–10/2008/38–2. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10–07–2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th July 2025

NOTIFICATION

No. F 3-10/2008/38-2. – Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 619/PU/S&O/2008/22044, Dated 25-04-2025 has approved the subsequent Ordinance No. 145 of Mats University, Gullu, Aarang, District-Raipur, Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2/ The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinance in Official Gazette.

3/ The above Ordinance shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR MISHRA, Deputy Secretary.

ORDINANCE NO. 145

GOVERNING

UNDERGRADUATE/ POSTGRADUATE AND PG DIPLOMA PROGRAMS

As per UGC-DEB guidelines except for all programs in prohibited list under UGC-DEB

Offered by

MATS Centre for Distance and Online Education (MCDOE)

MATS University, Raipur CG

1. Short Title and Commencement:

1.1. The ordinance shall be called as ordinance for all the certificates, Diploma, Undergraduate and Postgraduate programmes of Online and Distance Education to be imparted through MATS Centre for Distance and Online Education (MCDOE), MATS University, Raipur, Chhattisgarh, as per the guidelines issued by University Grant Commission (UGC)-Distance Education Bureau (DEB), New Delhi under National Education Policy 2020.

1.2. The Ordinance shall come into force from the academic Session 2025-26.

1.3. The provision of the ordinance shall apply to the three-year (six semester) Bachelor's Degree, Two-year Masters' (four semester) degree programmes approved as per statutes no. 14 of the MATS University for the Courses as approved by UGC-DEB or as per guidelines New Education Policy (NEP)-2020. The Programs to be covered under Distance Education and Online Education shall be only those which are not in the prohibited list of the UGC-DEB and for which the University gets the permission to start the programs from UGC-DEB. The programmes to be covered under distance education and online education shall be as per the table 1.

Table No. 1: The programmes to be covered under distance education and online education.

S. No.	Faculty	Programmes
1.	Faculty of Management	• Post Graduate Diploma • Bachelor of Business Administration (BBA) • Master of Business Administration (MBA)
2.	Faculty of Information Technology	• Post Graduate Diploma • Bachelor of Science (B.Sc.) • Bachelor of Science (Honors) • Bachelor of Computer Application (BCA) • Master of Science (M.Sc.) • Master of Computer Application (MCA)
3.	Faculty of Commerce	• Post Graduate Diploma • Bachelor of Commerce (B.Com.) • Bachelor of Commerce (Honors) • Master of Commerce (M. Com.)
4.	Faculty of Science	• Bachelor of Science (B.Sc.) • Bachelor of Science (Honors) • Bachelor of Design • Master of Science (M.Sc.) • Master of Design
5.	Faculty of Life Science	• Bachelor of Science (B.Sc.) • Bachelor of Science (Honors) • Master of Science (M.Sc.)

6.	Faculty of Arts and Humanities	• Post Graduate Diploma • Bachelor of Arts (B.A.) • Bachelor of Arts (Honors) • Bachelor of Science (B.Sc.) • Bachelor of Science (Honors) • Bachelor in Social Work (BSW) • Bachelor of Library and Information Science (B.Lib.I.Sc.) • Master of Arts (M.A.) • Master in Social Work (MSW) • Master of Library and Information Science (M.L.I.Sc.)

2. Definition and Keywords:

These regulations require following definition:

- **Academic Sessions:** This means duration of twelve months beginning either in January to February or in the month of July to August, as the case may be, of every calendar year.

- **Centre for Internal Quality Assurance (CIQA):** This is A Centre established by the University for ensuring the quality of programmes being offered in Open and Distance Learning mode and Online mode, as specified in Annexure-I of UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020.

- **Conventional Mode:** This is a mode of providing learning opportunities through face-to-face interaction between the teacher and learner in regular class room environment but does not exclude supplementary instructions if any for the learner through use of online.

- **Credit:** Means the Unit award gained by a learner with study efforts of minimum number of hours required to acquire the prescribed level of learning in respect of that Unit. For the purpose of this clause, A study effort for one credit shall mean time required by a learner to understand the contents equivalent to 15 hours of classroom teaching or 30 hours including self-learning time required to acquire the prescribed level of learning in respect of that Unit.

- **Degree:** A degree specified under sub-section (3) of section 22 of the Act.

- **Dual Mode University:** Means the University offering programmes under conventional mode and also under Open and Distance Learning mode and/or Online mode.

- **E-Learning Material:** This includes contents in the form of structured course material, as a part of one or more courses in the Online Programme, in digital

format delivered through Learning Management System, which is inter alia self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study, but does not include text-books or guide-books; as defined in the regulations.

- **Examination Centre:** This means a place where examinations are conducted, inter alia, for assessment of the learner's pursuing programmes under Open and Distance Learning mode and Online mode and is having the requisite infrastructure relevant to respective mode of education including adequate manpower for smooth conduct of examinations and adhering to such minimum standards as specified in these regulations.

- **Information and Communication Technology:** Means the diverse set of tools and resources used to communicate, create, disseminate, store, manage information and be deployed for realising the goals of interactive teaching-learning, enhancing access, ensuring knowledge cum information sharing, building capacities and management of the educational system and resources.

- **Integrated Programme:** Integrated programme shall have the same meaning as defined in UGC Notification on Specification of Degree, 2014.

- **Learning Management System (LMS):** This means a system to keep track of delivery of e-Learning Programmes, learner 's engagement, assessment, results, reporting and other related details in one centralised location.

- **Learner Support Centre:** A centre established or recognised by the University for advising, counselling, providing interface between the teachers and the learners, rendering any academic and any other related service and assistance required, *inter alia*, by the learners of Open and Distance Learning mode.

- **Learner Support Services:** This includes such services as are provided by the University in order to facilitate the acquisition of teaching learning experiences by the learner to the level prescribed by or on behalf of the Commission in respect of a programme of study under Open and Distance Learning mode and/or Online mode.

- **MOOCs:** It shall have the same meaning as assigned to it under sub-regulation 3.6 of regulation 3 of UGC (Credit Framework for Online learning courses through SWAYAM) Regulations, 2016.

- **Online Mode:** A mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using internet, e-Learning Materials and full-fledged programme delivery through the internet using technology assisted mechanism and resources.

- **Open and Distance Learning Mode:** A mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the learners or Learner Support Services to deliver teaching-learning experiences, including practical or work experiences.

- **Post Graduate Diploma:** This means a programme with minimum duration of two years, minimum entry level qualification as graduation, minimum 80 credits and nomenclature as recognised by the Commission and regulatory authority or statutory council, as applicable.

- **Proctored Examination:** The examination conducted under the supervision of approved person or technology enabled proctoring which ensures the identity of the test taker and the integrity of the test taking environment, either in pen-paper mode or in computer-based testing mode or in full-fledged Online mode; as permissible in Open and Distance Learning mode and Online mode under these regulations.

- **Prohibited Programme:** Such programmes which shall not be permitted to be offered in Open and Distance Learning Mode and Online Mode in Higher Education, by UGC_DEB.

    a) The programmes in the disciplines (including their allied domains) of Engineering, Medical, Physiotherapy, Occupational Therapy and other Para-Medical disciplines, Pharmacy, Nursing, Dental, Architecture, Law, Agriculture, Horticulture, Hotel Management, Catering Technology, Culinary Sciences, Aircraft Maintenance, Visual Arts and Sports;

    b) The research-based programmes such as M.Phil. and Ph.D.;

    c) Such other Programmes not permitted to be offered through Open and Distance Learning mode and/or Online mode by any concerned statutory or regulatory body or council: Provided that, if the concerned statutory or regulatory body or council permits any of the prohibited programmes, as mentioned above, under its domain, in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, if the same is considered by the UGC, university can start those programs after the inclusion of these programmes in the ordinance.

- **Regional Centre:** Means a Centre established or maintained by the University for the purpose of coordinating and supervising the work of the Learner Support Centres in the region as per its territorial jurisdiction and for performing such other functions as may be conferred on such Centre by the statutory authorities of the Higher Educational Institution.

- **Self-Learning E-Module:** For Online mode means a modular unit of course material in e-learning form which is *inter alia* self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study and includes contents in the form of a combination of the following e-Learning content:
    - e-Text Materials;
    - Video Lectures;
    - Audio-Visual interactive material;
    - Virtual Classroom sessions;
    - Audio Pod casts;
    - Virtual Simulation; and
    - Self-Assessment Quizzes or Tests;
- **Self-Learning Material:** For Open and Distance Learning mode means that includes contents in the form of course material, whether print or in e- form, which is interalia self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study, but does not include text-books or guide-books.
- **SWAYAM:** This means the learning management system as specified in the UGC (Credit Framework for online learning courses through SWAYAM) Regulations, 2016.

3. Eligibility for Admission:

3.1. Admission rules and guidelines for admission to these programmes shall be the same as mentioned in the point no 3 of the ordinances 144 of the University.

3.2. The conditions of eligibility including the minimum age of a learner in a particular programme of study, would be the same as in Conventional mode unless specific provisions are created for some programs.

Number of Seats:

3.3. Student enrolment in a programme shall be restricted to the seats duly approved by the Academic Council of the University. The additional increase in the seats can be done after the approval of Academic Council and Board of Management.

3.4. The in-take capacity shall be determined in advance by the University under the provisions of this Ordinance and shall be applicable from the academic session 2025-26.

3.5. Provided that the intake capacity under Open and Distance Learning mode for a programme under science discipline shall be as per UGC-DEB guidelines.

Admission of International Students in Online Mode

3.6. The University may admit international students based on the equivalence of entry

qualification held by them. The equivalence is to be determined by the University Grants Commission (UGC) or any other body recognised by UGC for such purpose or the concerned regulatory bodies of the country. The University may adopt a transparent admission process for admitting the international students.

3.7. All the International learners shall authenticate their credential through Passports only. These Learners shall pursue Online programmes from their country of residence.

3.8. University shall Provide the details of all International Learners enrolled immediately after the beginning of the academic session to the Ministry of External Affairs, Ministry of Education and University Grants Commission.

4. Curriculum Component of the Programme:

Curriculum Component will be same as the regular program. Board Of Study of Each Department will make the necessary Changes if required in the Curriculum.

5. Nomenclature of Undergraduate Programmes:

As per UGC (Open and Distance Learning Programme and Online Programme) Regulations 2020 and based on Conventional mode of Programmes.

6. Nomenclature of Postgraduate Programmes:

As per UGC (Open and Distance Learning Programme and Online Programme) Regulation 2020 and based on Conventional mode of Programmes.

7. Attendance:

The learner shall not be eligible to attend the term/end semester examination in a subject unless:

(i) For Open and Distance Learning mode the learner has minimum attendance of 75 percent in the programme specific Personal Contact Programme (excluding counselling) and lab component of each of the programmes; and detailed attendance records have been maintained by Learner Support Centre/Regional Centre/ Higher Educational Institution;

(ii) For Online mode: the learner has minimum participation of 75 per cent. in all the activities of Online programme prior to end semester examination or term end-examination.

For special reason such as prolonged illness deficiency in the percentage of attendance in each course may be condoned by the Vice Chancellor.

8. Examination and Evaluation:

8.1. All processes of assessment of learners in different components of Examination shall be directly handled by the concerned Institution and no part of the assessment shall be outsourced.

8.2. For ensuring transparency and credibility, the full-time faculty of the Open and Distance Learning and/or Online mode Higher Educational Institutions or qualified faculty from University Grants Commission recognised Higher Educational Institutions only should be associated to function as invigilators, examination superintendents, as observers etc.

8.3. **For Open and Distance Learning programmes:** All Examinations for Open and Distance Learning mode programmes shall be conducted where the Study Centres or Learner Support Centres is located under the direct control and responsibility of the Open and Distance Learning mode Institution. Also, all Government Institutions like Kendriya Vidyalaya(s), Navodaya Vidyalaya(s), Sainik School(s), State Government Schools and State Government University Affiliated Colleges, etc. can also be identified as examination centre(s) under direct overall supervision of the University and no Examination Centres shall be allotted to any private organisations or unapproved Higher Educational Institutions.

8.4. In case the types of Institutions mentioned at (8.3) above are not sufficient to meet the requirement in a city/town, the University may locate the Examination Centre(s) at Krishi Vigyan Kendras, State Training Institutes/Industrial Training Institutes, Government Organisations/ Departments, Accredited Laboratory with the prior approval of its statutory bodies.

8.5. The University offering a Programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall adopt a rigorous process in development of question papers, question banks, assignments and their moderation, conduct of examination, evaluation of answer scripts by qualified teachers, and result declaration, and shall so frame the question papers as to ensure that no part of the syllabus is left out of study by a learner.

8.6. The examination of the programmes in Open and Distance learning mode and/or Online mode shall be managed by the examination or evaluation Unit of the Higher Educational Institution and shall be conducted in the examination centre as given under these regulations.

8.7. **Provisions For Online Learning Mode**:

8.7.1. University shall conduct examinations either using technology enabled online test with all the security arrangements ensuring transparency and credibility of the examinations, or through the Proctored Examination and in conformity with any other norms for such examination as may be laid down by the University Grant Commission. Provided that, university shall conduct proctored examinations for its international learners.

8.7.2. The attendance of examinees shall be authenticated through biometric system as per Aadhaar details or other Government identifiers for Indian learners and Passports for International learners.

8.8. The University Evaluation mechanism for learners enrolled through Open and Distance Learning mode and/or Online mode and their certification shall include:

8.8.1. Two types of assessment and their weightages shall be as under

I. continuous or formative assessment (in Semester): Maximum 30 Percent;

II. summative assessment (in the form of end semester examination or term-end examination): Maximum 70 percent.

9. Letter grade and Grade Point:

9.1. All the letter grade and grade point shall be of same standards as being followed in conventional mode by the University or as mentioned in Point (29) of ordinance 144.

Marks or grades obtained in continuous assessment and end semester examinations or term end examinations shall be shown separately in the grade card.

10. Promotion Rule:

10.1. Promotion rule shall be same as given in the conventional promotion rule in point (30) of ordinance 144 of the university.

11. Certification:

11.1. Each award of Degree at undergraduate and postgraduate level and post graduate diploma for both Open and Distance Learning and Online mode shall be assigned a unique identification number and shall have photograph and Aadhaar number or other government recognised identifier or Passport number, as applicable, along with other relevant details of the learner along with the Programme name. Each award shall also be uploaded on the National Academic Depository.

11.2. The marksheet of the University shall contain necessarily information on the backside of each of the degrees/certificates and mark sheets issued University to the learners (for each semester certificate and at the end of the programme):

i. Mode of delivery as ODL/Online;

ii. Date of admission;

iii. Date of completion;

iv. Name and address of Learner Support Centre (only for Open and Distance Learning);

v. Name and address of Examination Centre.

12. Centre of Internal Quality Assurance (CIQA):

12.1. There should be a centre for internal quality assurance to promote higher education in the open and distance learning mode and online mode with acceptable quality to ensure a dynamic internal quality assurance system.

12.2. The formation, function, monitoring mechanism of this cell shall be as per the provision given in the Annexure-I of UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020.

13. General:

13.1. If any question arises related to the matters not covered in the ordinance, the relevant provisions made in the ordinance/ statutes of the University or UGC shall be applicable.

13.2. Any points related to ABC and multiple entry and exit which are not covered in this ordinance shall be dealt with as per the regulations of the University in accordance with the provisions of UGC guidelines/ regulations issued by, from time to time.

14. In case of any dispute on interpretation of the ordinance, the English version shall be considered as binding.

15. The existing ordinances related to the Open and Distance Learning Programmes mentioned in this ordinance shall be repelled with the implementation of this ordinance from the session 2025-26. The existing ordinance shall be applied to those learners who have enrolled before the academic session 2025-26.

16. Grievance Redressal Mechanism:

16.1. The university shall have a grievance redressal mechanism as per the guidelines given in the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020.

17. Any other points not covered in the ordinance, norms given regarding the same in UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020, will be applicable.

Tables:

Table No. 2: Norms for offering degree programmes through open and distance learning mode and/or Online mode, based on credit system.

S. No.	Level of the Programme	Duration of the programme	Credits
1.	Bachelor ‘s Degree, Bachelor ‘s Degree (Honours)	As per UGC Notification on Specification of Degree, 2014	As per UGC guidelines
2.	Master ‘s Degree	As per UGC Notification on Specification of Degree, 2014	As per UGC guidelines
3.	Post Graduate Diploma	2 years	80

Table No. 3: Norms for delivery of courses through open and distance mode.

S. No.	Credit Value of the course	Size of SLMs Range (in terms of units, to be divided into blocks)	No. of Assignments	Practical Sessions	No. of Counseling Sessions Theory (10 percent of total study hours)	Study hours of learner
1.	2 Credits	6-10 units	1	60 hours	6 hours	60 hours
2.	4 credits	14-20 units	2	120 hours	12 hours	120 hours
3.	6 credits	20-28 units	3	180 hours	18 hours	180 hours
4.	8 credits	30-34 units	4	240 hours	24 hours	240 hours

Table No. 4: Norms for Delivery of Courses in Online Mode.

S. No.	Credit value of the course	No. of Weeks	No. of Interactive Sessions		Hours of Study Material		Self-Study hours including Assessme nt etc.	Total Hours of Study (based on 30 hours per credit)
			Synchronous Online Counselling / Webinars/ Interactive Live Lectures (1 hour per week)	Discussion Forum/ asynchronous Mentoring (2 hours per week)	e-Tutorial in hours	e-Content hours		
1.	2 credits	6 weeks	6 hours	12 hours	10	10	22	60
2.	4 credits	12 weeks	12 hours	24 hours	20	20	44	120
3.	6 credits	14 weeks	14 hours	28 hours	30	30	66	180
4.	8 credits	16 weeks	16 hours	32 hours	40	40	88	240

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.